the Chief Minister has openly accused the Governor of having sent an official letter to the Prime Minister accusing the Chief Minister of colluding with the insurgents. I would like to know whether such a letter was written by the Governor to the Prime Minister. Secondly, how did the Chief Minister become privy to a confidential letter which the Governor has sent to the Government of India? The Chief Minister has now openly demanded the change of the Governor. This can only add fuel to the fire of insurgency. These kinds of things will add fuel to the insurgency in that State. I would like to know from the Government what actually is happening in Nagaland. Why do you keep quiet? I am happy that the Minister of Parliamentary Affairs is here. I think he is not sleeping. I am not speaking to a sleeping Government. Mr. Minister, I am saying that you kindly take note of this and tell the Home Minister whoever Minister is in-charge, to come forward to the House and tell this House, tell this country what is happening in Nagaland. It is the Congress Government which is there. Do you relish this idea of the Chief Minister and the Governor openly disputing with each other in public? Do you relish the idea of the Chief Minister being privy to the confidential report sent by the Governor to the President or the Prime Minister?

श्री जगदीश प्रसाद माथूर (उत्तर प्रदेश) : जो स्वैल साहब ने कहा है उससे मैं अपने आपको सम्बद्ध करता हूँ । उपसभाध्यक्ष महोदय, इसमें दो मुख्य बातें है। मैं एसोसियेट कर रहा हूँ, बताना तो पड़ेगा। आप भी करते है । दो स्टेट ऐसी हैं । जम्मू औह कश्मीर के बारे में भी यही आया कि वहां गवर्नर को हटाकर एक सिविलियन गवर्नर नियुक्त किया जाय । ऐसा इसलिये है क्योंकि वहां के एडमिनिस्ट्रेशन में 99 प्रतिशत लोग टैरोरिस्ट से मिले हुए हैं । इसलिये गवर्नर को हटाने के लिये अन्य कारणों में यह भी एक कारण है । दूसरा यहाँ जो बात आयी है उसमें से यह निकलता है कि मुख्य मंत्री चाहते है कि सिविलियन गवर्नर आय जो लायबल हो। मेरा यह आरोप नहीं है कि किसने क्या कहा लेकिन जैसा स्वैल साहब ने कहा यह जानना अत्यन्त आवश्यक है कि क्या वहां के मुख्य मंत्री के खिलाफ यह चार्ज है । इससे पहले भी गवर्नर की रिपोर्ट की चर्चा हुई है, इससे पहले भी उसकी चर्चा आती रही है— अखबारों और जगह जगह पर कि वहां के मुख्य मंत्री का संबंध वहां के एक इन्सरजेंट ग्रुप के साथ है । यदि ऐसा है तो केन्द्रीय सरकार, चूंकि वहां पर कॉंग्रेस पार्टी की सरकार है, वहां पर किसी प्रकार की ढिलाई न बरते । सामान्यतः यह नियम है कि जब कभी किसी गवर्नर को अप्वाइंट किया जाता है तो वहां की सरकार से पूछा जाता है कि आपको स्वीकार हैं या नहीं है । लेकिन इस स्थिति में यह स्थिति नहीं है । जब अप्वाइंट किया जाए तब सलाह ली जाती हैं । खास तौर से जब मुख्य मंत्री के विरुद्ध यह आरोप हो, वहां के गवर्नर जो हैं पहले वहां कमांडिग आफिसर रह चुके है, उनको इस क्षेत्र की पूरी जानकारी है इसलिए सरकार को बहुत सावधानी से वहां की स्थिति को संभालना पड़ेगा । मैं यह कहूंगा कि यदि मुख्य मंत्री के बारे में सरकार के पास जानकारी है कि इनसरजेंट ग्रुप से उनका संबंध रहा है तो उनको भी हटाया जाना चाहिये ।

SHRI TINDIVANAM G. VENKATRAMAN (Tamil Nadu): Sir, I am associating myself with Shri G. G. Swell's Special Mention. There cannot be a blanket ban and the Government employees should not be made to suffer for this.

Distorted form of Hindi Language

श्री शंकर दयाल सिंह (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक गम्भीर मामले की ओर दिलाना चाहता हूं । आप जानते है कि इस समय इलेक्ट्रोनिक मीडिया जिसमें दूरदर्शन का सब से बड़ा प्रभाव है, उसका क्षेत्रफल पूरे देश में इस तरह से फैला हुआ है कि देश की 82 प्रतिशत जनता उसके साथ संबंधित है । इस समय पूरे देश में 553 ट्रांसमिटर केन्द्र काम कर रहे है और 31 प्रोडक्शन सेंटर्ज काम कर रहे है । लेकिन दुख की बात यह है कि इतना बड़ा फैलाव होने और दूरदर्शन की 1993-94 की आय 380 करोड़ और 1994-95 की आय 400 करोड़ होने की संभावना के बावजूद भी दूरदर्शन पर जिस तरह से भाषा का प्रयोग होता है चाहे वह हिन्दी में हो या हिन्दुस्थानी में हो या अंग्रेजी में हो, यह बड़े दुख की बात है कि क्यों इस तरह से होता है। वहां के कार्यक्रमों के लिए कोई सेंसरशिप नहीं है । जो भी दूरदर्शन पर कार्यक्रम दिखलाए जाते है, वह दूरदर्शन का अपना ही विभाग तय करता है । हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो आकाशवाणी का विस्तार किया गया था । उस समय भाषा के लिए भाषाविद् सलाहकार के रूप में रखे गये थे । बच्चन जी जैसे लोग, सुमित्रा

नन्दन पंत, फिराक साहब, नरेन्द्र शर्मा जैसे लोग इसके साथ संबद्ध थे। इस समय कोई भी सलाहकर नहीं है जो भाषा के बारे में उनको कुछ सिखलाए और कहे। सब से दुख की बात यह है कि दूरदर्शन पर जो प्रसारण होता है, 70-80 प्रतिशत कार्यक्रम हमारे हिन्दी में जाते है। अभी कुछ दिन पहले इनफॉरमेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के जो सचिव है, उन्होंने यह कहा कि मैं तो एक शब्द भी हिन्दी नहीं जानता हूँ। फोर्थ ग्रेड इम्पलाइज उनसे मिलने के लिए गये। उनसे उन्होंने यह कहा कि आप अंग्रेजी में बात कीजिये। चतुर्थ श्रेणी के लोगों ने यह कहा कि हम लोग यदि अंग्रेजी जानते तो फिर फोर्थ ग्रेड में क्यों रहते, हम भी अफसर हो जाते। उन्होंने कहा मैं हिन्दी नहीं जानता हूँ, बाहर निकलिये। बाहर निकलवा दिया। जो व्यक्ति एक शब्द भी हिन्दी नहीं जानता हो और 80 प्रतिशत दूरदर्शन के कार्यक्रम हिन्दी में जा रहे हों, स्टार टी० वी० हिन्दी के माध्यम से लोकप्रियता प्राप्त कर रहा हो, एशियन टी० वी० का जाल हिन्दी के माध्यम से फैल रहा हो, बी० बी०-सी० का जाल हिन्दी के माध्यम से फैल रहा हो और हमारे सूचना एवं प्रसारण सचिव यह कहें कि मैं हिन्दी नहीं जानता हूँ तो उनको रहने का क्या हक है? बिलकुल अखबारों में आया है, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। यह अखबारों में आया है। पिछली दिनों समाचार-पत्रों में छपी एक रपट के अनुसार सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव को हिन्दी नहीं आती है। इस खबर पर यदि विश्वास कर लिया जाए तो मंत्री महोदय को कौन बताता होगा कि दिल्ली दूरदर्शन के 90 प्रतिशत हिन्दी में होने वाले कार्यक्रमों के विषय में उनकी राय क्या है। (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): खत्म कीजिये

श्री शंकर दयाल सिंह: मै अभी खत्म कर रहा हू।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): आपका परमिशन यह है डिस्टर्शन आफ हिन्दी लैंग्वेज।

श्री शंकर दयाल सिंह: मेरा कहना यह है कि दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम सेंसर बोर्ड से पास नहीं किये जाते है। इसके लिए दूरदर्शन का अपना मानदंड होता है। दूरदर्शन जो कार्यक्रम खुद प्रसारित कर रहा है, उनमे तो अपना मानदंड निश्चित करता ही है लेकिन मेट्रो चैनल वाले सभी कार्यक्रम कमीशन न ही कर प्रायोजित है, उनके लिए कोई सेंसरशिप की व्यवस्था अवश्य होगी चाहिये क्योंकि उनको जो लोग देख रहे है खास कर के बच्चे, युवा वर्ग के लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से तीन अनुरोध करना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि अगर सेंसरशिप नहीं है तो ऐसे एक्सपर्ट लोगों की कमेटी होनी चाहिये जो भाषा और कार्यक्रम दोनों पर निगाह रखे जिससे कोई बुरी चीजे न दिखलाई जाएं। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि पहले जो साहित्यिक और सांस्कृति कार्यक्रम होते थे, वह कर्टेल होते जा रहे है। हिंदी पत्रिका का जो कार्यक्रम आधा घंटा होता था, वह 30 मिनट का 20 मिनट कर दिया गया है जबकि हिंदी के कार्यक्रम बढ़ते जा रहे है। तो मेरा आपसे यह कहना है कि सरकार को इन बातों को गम्भीरता से लेना चाहिए और सूचना और प्रसारण सचिव कोई भी हों, नाम नहीं ले रहा हूं, अगर वे हिंदी नहीं जानते है तो धारा 341 और 351 के अनुसार उनको जानना चाहिए संविधान की मर्यादा के लिए। कोई अगर अंग्रेजी नहीं जानता है, उसको अफसर नहीं बनाया जाता है। उसी तरह से अगर वह देश की राष्ट्रभाषा को नहीं जानता है तो उसको उस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है।

श्री विष्णु कान्त शास्त्री (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं अपने को इससे सम्बद्ध करता हूं। मैं इस बात को अनुभव कर रहा हूं कि विदेश से आने वाला दूरदर्शन हमारी संस्कृति पर क्या आक्रमण कर रहा है इसके बारे में तो बड़ा हल्ला किया जा रहा है लेकिन हमारा अपना दूरदर्शन जिस प्रकार के विषय प्रस्तुत करता है, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है उससे हमारी भावी पीढ़ी का कितना अनिष्ट हो रहा है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। मैं माननीय शंकर दयाल जी के मन्तव्य से बिल्कुल सहमत हूं कि ऐसे विद्वानों और संस्कृति के विशेषज्ञों की समिति हो जो कि हमारे ही दूरदर्शन के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के ऊपर अपना निर्णय दे सके, कुछ सही निष्कर्ष निकाल सके। मैं यह अवश्य ही चाहूंगा कि ...

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): आप भाषण क्यों कर रहे है।

श्री विष्णु कान्त शास्त्री: हमारे जो सचिव है वे हिंदी के प्रति श्रद्धाशील हो और उनको हिंदी का अपमान करने का कोई अधिकार नही है। अगर उन्होंने किया है तो उन्हें इसके लिए क्षमा मांगनी चहिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम): आप भाषण नहीं कीजिए, सम्बद्ध कीजिए।

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिमी बंगाल): मैं भाषण नही दे रही हूं बिल्कूल। भाषा का प्रश्न उठा है, मैं इसलिए आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहती हूं कि जहां तक भाषा का सवाल है हमार

दूरदर्शन की भाषा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है । सिर्फ भाषा का ही नहीं, किस तरह से दूरदर्शन की भाषा के जरिये संस्कृति को विकृत किया जा रहा है । इसलिए मैं आपका ध्यान खींचना चाहती हूं कि ऐसा लगता है कि हम ब्रिटेन या अमेरिका के किसी कस्बे या शहर में रह रहे है । "हेलो" और "हाय" की संस्कृति आज दूरदर्शन के जरिये प्रचारित हो रही है । जिस तरह से अंग्रेजी और हिंदी की खिचड़ी भाषा को पुरसा जा रहा है लगता है जैसे हमारे देश की कोई संस्कृति और सभ्यता नहीं है, हमारा अस्तित्व नहीं है । मैं कह रही हूं कि आज दूरदर्शन ने हमारे अस्मिता के सामने बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है । बाकी चर्चाएं तो जब सूचना और प्रसारण मंत्रालय पर चर्चा होगी तब उस दौरान करेंगे इसलिए मैं कार्यक्रमों पर नहीं जा रही हूं लेकिन भाषा के सवाल पर निश्चित रूप में हमारे देश की एक बहुत पुरानी प्राचीन संस्कृति है उसको देखते हुए हमारे देश की अस्मिता पर आज जो संकट आया है उसकी ओर निश्चित रूप से आपको इशारा करना चाहिए और सूचना व प्रसारण मंत्रालय को निर्देश देना चाहिए ।

श्री शंकर दयाल सिंह : ये मेरे साथ सम्बद्ध कर रही है ।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) : फिर आप उनसे सम्बद्ध करेंगे ।

श्री शंकर दयाल सिंह : वे यह कहना भूल गयीं कि मेरे प्वाइंट के साथ सरला जी ने अपने को सम्बद्ध किया है ।

उपसभाध्यक्ष (श्री मोहम्मद सलीम) : ईश दत्त जी क्या आप भी एसोसिएट कीजिएगा ।

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश) : मैं एक मिनट में एसोसिएट करुंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा । (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष जी, श्री शंकर दयाल सिंह जी ने जिस गम्भीर विषय की ओर इस सदन का और सरकार का ध्यान आकर्षित किया है उसको मैं अत्यंत गम्भीर मानता हूँ और इनके विचारों से अपने को सम्बद्ध करता हूँ और एक ही अनुरोध करता हूँ कि भाषा का ज्ञान तो सबको होता है—बच्चे को जब ज्ञान हो जाता है थोड़ा बड़ा होने पर तो वह, परिवार की जो भाषा रहती है वह भाषा जान जाता हैं लेकिन शब्द का ज्ञान बिरले लोगों को हो पाता हैं । दूरदर्शन जो है इसके माध्यम से च हे जो समाचार हो, जो भी आता हो कार्यक्रम उसके साथ भाषा का भी ज्ञान होता है । और अगर दूरदर्शन पर भाषा सही नहीं आ रही है, शब्द सही नहीं आ रहे है तो इस देश की जो राष्ट्रभाषा है उसके साथ अन्याय हो रहा है । मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि श्री शंकर दयाल सिंह जी ने जिस सेंसर बोर्ड के लिए कहा है उसका मैं समर्थन करता हूँ और चाहता हूँ कि इस तरह का सेंसर बोर्ड होना चाहिए और जो अधिकारी हिन्दी नहीं जानता है और उस विभाग का सब से बड़ा अधिकारी बना दिया गया है उनको तो आपके माध्यम से अनुरोध कर रहा हूँ कि सरकार कृपा करके दूसरी जगह सेवा का अवसर दे दे और किसी हिन्दी के जानकार को वहां लाए, यह मेरा आपसे अनुरोध है ।

Mass Copying in the Examination

श्री राजनाथ सिंह (उत्तर प्रदेश) : मान्यवर, आपके माध्यम से मैं एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ । मान्यवर, पूरा सदन इस बात से सहमत होगा कि शिक्षा के माध्यम से भारत के कल्ट और कल्चर के अनुरूप हम नागरिक तैयार करने का काम करते है, लेकिन विगत दो दशक से इस देश के कई राज्यों में जो शिक्षण संस्थाएं चल रही है, चाहे वे हाई स्कूल, इंटरमीडिएट अथवा डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट कालेजेज अथवा यूनिवर्सिटीज इनमें नकल करने और कराने की मॉस कॉपिंग की प्रवृत्ति बड़ी तेजी के साथ बढ़ती जा रही है । उत्तर प्रदेश में जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और मान्यवर, उस समय मैं शिक्षा मंत्री के रूप में काम कर रहा था, तो इस नकल की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए नकल विरोधी कानून बनाने का काम किया था जिसके परिणामस्वरूप 1992 में उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से नकल रुक गई थी । जहां कभी परीक्षा परिणाम 75 फीसदी, 85 फीसदी आते थे यह नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद परीक्षा की प्रामाणिकता, परीक्षा की विश्वसनीयता इस सीमा तक बढ़ गई थी कि उत्तर प्रदेश के कई विश्वविद्यालय जो पहले प्रवेश परीक्षा, एंटरेंस एग्जाम लिया करते थे, उन्होंने वह लेना बंद कर दिया और सीधे मार्क्सशीट्स के आधार पर अपने विश्वविद्यालयों में प्रवेश देना प्रारम्भ कर दिया था । लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने के बाद और इस समय जो उत्तर प्रदेश में सरकार है जिसका नेतृत्व माननीय मुलायम सिंह यादव कर रहे हैं, मान्यवर, उन्होंने चुनाव के समय ही अपने घोषणापत्र में इस बात की घोषणा कर दी थी कि मैं आने के बाद तुरंत ही नकल विरोधी कानून को 20 मिनट के अंदर समाप्त कर दूंगा । परिणाम यह हो गया कि पूरे उत्तर प्रदेश का शैक्षिक वातावरण